<u>मध्यप्रदेश शासन वन विभाग</u>

क्रमांक/समीति/363/97 भोपाल, दिनांक 16.06.2009

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
मध्य प्रदेश भोपाल ।

विषय:- प्रदेश के कृषकों को खुदरा बिक्री के जरिये औद्योगिक बांस का प्रदाय ।

राष्ट्रीयकृत वनोपज अंतर्विभागीय समिति की 363 वीं बैठक दिनॉक 28-05-09 (अपर प्रधान मुख्य व.सं.उत्पा. के विषय क्रमांक-04) में लिये गये निर्णय अनुसार राज्य शासन कार्यो हेतु कृषकों को औद्योगिक बांस के 1 मीटर तथा मीटर लंबाई के टुकड़े प्रदाय किये की स्वीकृति प्रदान करता है । औद्योगिक बांस के 1 मीटर टुकड़े का मूल्य रूपये 2/- प्रति नग तथा 2 मीटर के टुकड़े का मूल्य रूपये 4/- प्रति नग वित्तीय वर्ष 2009-10 एवं 2010-2011 के लिए निर्धारित किया जाता है । जिन वृत्तों में औद्योगिक बांस का उत्पादन हो रहा है, के मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन वन संरक्षक को प्रतिवर्ष अधिकतम 50 वि0ई0 औद्योगिक बांस उक्त प्रयोजन प्रदाय किये जाने हेतु अधिकृत किया जाता है

म0प्र0 के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(डॉ. आर.के.गुप्ता)
पदेन अपर सचिव
म0प्र0 शासन, वन विभाग

पृ.क्रमांक/समिति/363/98 भोपाल, दिनांक 16.06.2009
प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग, भोपाल को सूचनार्थ प्रेषित।
2. महालेखाकार (क्रमांक एक) म0प्र0 ग्वालियर को (समिति की बैठक दिनांक 28-05-2009 में प्रस्तुत विषय पर संदर्भित टीप एवं कर्यवाही विवरण के उद्धरण की प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

(डॉ. आर.के.गुप्ता)
पदेन अपर सचिव
म0प्र0 शासन, वन विभाग